राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 258/2018.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स डी. एन. डायमण्ड, परतनियों का रास्ता, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–एच, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/03/2018	**एकलपीठ** **श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जी.एन.शर्मा एवं विभाग की ओर से श्री रामकरण सिंह, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 23(1) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार वर्ष 2013–14 की विवादित मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।	

अ.सं.	कर नि. वर्ष	अपी.अधिकारी की अपील सं.	अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अ.अधि. द्वारा स्थगित राशि	कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	5	6
258/18	13–14	अ.प्रा.–II/स्थ/अ.स. 241/17–18	7,91,155	4,68,633	3,22,522

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2017 से आंशिक स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश दिनांक 21.11.2017 का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली की रोक पर प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 258/2018.....जिला.....जयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/03/2018	उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया, अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जमा कराई गई प्रशमन राशि एवं बैंक स्टेटमेंट के आधार पर, घोषित बिक्री रूपये 1,12,81,154/— से बढाकर रूपये 3,47,12,800/— निर्धारित की है एवं इस प्रकार सम्पूर्ण बिक्री पर प्रशमन योजना के लाभ से वंचित कर पूर्ण कर दर से करारोपण एवं करापवंचित बिक्री रूपये 2,34,31,640/— पर शास्ति का आरोपण किया गया। प्रकरण के तथ्य के मद्देनजर प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 3,22,522/— की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	